"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जो. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 111-अ] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 5 अप्रैल 2011—चैत्र 15, शक 1933

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 अप्रैल 2011

अधिसूचना

क्रमांक 399/778/2011/1-7.—चूंकि जिला दन्तेवाड़ा के चिन्तलनार क्षेत्र में पुलिस नक्सली मुठभेड़ एवं आगजनी की घटनाएं हुई हैं, चूंकि राज्य सरकार की यह राय है कि इस घटना से संबंधित सार्वजनिक महत्व के निम्नलिखित विषयों की जांच के प्रयोजन के लिये एक जांच आयोग नियुक्त करना आवश्यक है, अर्थात् :—

(1) घटना कब और कैसे घटित हुई ?

(2) दिनांक 11 से 16 मार्च के दौरान चौकी चिन्तलनार (थाना-चगरगुण्डा) एवं थाना चिन्तागुफा के ग्राम क्रमशः मोरपल्ली, तिम्मापुरम एवं ताड़मेटला में क्या नक्सलियों की मुठभेड़ हुई थी ?

(3) उक्त घटना में पुलिस या नक्सलियों में से क्या कोई व्यक्ति मृत या घायल हुआ था ?

(4) क्या उक्त घटना में संबंधित ग्रामों के कुछ घरों में आग लगी थी, जिससे लोगों के घर क्षतिग्रस्त हुये ? यदि लोगों के घर आगजनी से क्षतिग्रस्त हुये तो उसका कारण क्या था ? उक्त घटना के लिये जिम्मेदार कौन है ?

(5) भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति रोकने के संबंध में सुझाव.

जांच आयोग अधिनियम 1952 (1952 का सं. 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार उपरोक्त लोक महत्व की विशेष जांच हेतु एक जांच आयोग नियुक्त करता है जिसके एकल सदस्य श्री इंदरसिंह उबोवेजा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बस्तर होंगे. आयोग अपनी जांच इस अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 03 माह के भीतर पूरी करेगा तथा शासन को रिपोर्ट सौंपेगा.

जांच के दौरान तकनीकी विषय /बिन्दुओं पर आयोग किसी संस्था विशेषज्ञ की सहायता ले सकेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. टोप्पो, अतिरिक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.